सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 326
15/3/2010

खाद्य तेल एवं तेलहन तथा चावल–दालों की स्टॉक सीमा में संशोधन

पटना, 15 मार्च :: खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विषयक संगत धारा के तहत बिहार व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापन पत्र एकीकरण आदेश के अंतर्गत निहित व्यापारिक वस्तुओं के संचयन सीमा में संशोधन करते हुए बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है कि राज्य में खाद्य तेल एवं तेलहन का कोई भी व्यापारी किसी भी समय स्टॉक में प्राप्ति की तिथि से 30 दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं रखेगा। अवधि के अतिरिक्त मात्रा निर्धारित करते हुए आदेश में उल्लिखित है कि व्यपारियों द्वारा नगर निगम क्षेत्र में 500 क्विंटल खाद्य तेल एवं 1000 क्विंटल खाद्य–तेलहन तथा अन्य सभी क्षेत्र में 250 क्विंटल खाद्य तेल तथा 500 क्विंटल खाद्य तेलहन ही किसी भी समय में स्टॉक में अधिकतम रखा जा सकेगा।

प्राप्त सूचनानुसार यह आदेश सरकारी मद्दे स्टॉक या भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम द्वारा संचित स्टॉक पर नहीं लागू होगा। इसके अलावे राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या नामनिर्देशित अनुज्ञप्ति प्राप्त उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले स्टॉक पर भी इस आदेश का प्रभाव नहीं होगा।

ज्ञातव्य है कि व्यापारियों की कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश करने के निमित्त किए गए स्टॉकसीमा संशोधन–आदेशों के तहत चावल तथा दाल के संग्रह की भी अधिकतम सीमा संशोधित कर दी गई है। तदनुसार नगर–निगम क्षेत्र में इसके संग्रह की अधिकतम सीमा 2000 क्विंटल, अन्य सभी क्षेत्रों में 1000 क्विंटल तथा चावल मिलों के लिए 3000 क्विंटल तक रखी गई है। इसी तरह दालों के सन्दर्भ में नगर निगम क्षेत्र के लिए 750 क्विंटल, अन्य सभी क्षेत्रों के लिए 500 किवंटल तथा दल मिलों के लिए 1500 क्विंटल अधिकतम भंडारण सीमा निर्धारित की गई है।

————————